MS नंबर 2019/00309 सोनाराम वगैरा बनाम मृतक कंकु के कामु चुनकी वगैरा
पत्र अंतर्गत धारा 183, 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20.04.26	पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वादी अधिवक्ता श्री हनुमान सिंह चौहान की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि वादीगण ने उक्त वाद ग्राम लुणावा स्थित भूमि गत खसरा न. 289,286,302 कुल खसरा 3 कुल रकबा पौने दस बीघा 2 बिस्वा से बने हाल खसना न. 2211 के साथ खसरा न. 2211/1 नक्शे में गलत रूप से बटा नंबर कायम करने से नक्शे में की गई उक्त त्रुटि को सही कर खसरा न. 2211/1 को दुरस्ती के लिए विलोपित कर खसरा न. 2211 रकबा 1.39 हैक्टर मे दर्ज प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर दुरस्ती के माध्यम से खातेदार दर्ज किये जाने की दलील दी गई है। वादी के वादपत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार वादीगण का उक्त वाद ग्राम लुणावा के हाल खसरा न. 2211 रकबा 1.39 हैक्टर की घोषणा खातेदारी का है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से ज्ञात है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा न. 2211/1 की भूमि का मोहिनी पत्नी खीमराज रमेशा जाति मेघवाल निवासी लुणावा को दिनांक 8.11.2019 को बेचान कर दिया है। तथा वर्तमान में आनलाईन जमाबन्दी की ली प्रति के अनुसार लुणावा के हाल खसरा न. 2211/1 रकबा 0.46 हैक्टर के खातेदार मोहीनी पत्नी खीमराज रमेशा जाति मेघवाल दर्ज है इसी प्रकार खसरा न. 2211 रकबा 0.93 हैक्टर के खातेदार देवाराम पुत्र पुरा जाति मेणा सा. देह दर्ज है। प्रकरण में कायम वाद बिन्दु से. 2 के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 व 2 के द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर देने तथा वादीगण का उक्त वाद घोषणात्मक होने के बावजुद खरीदकर्ता को पक्षकार नही बनाये जाने से पक्षकारो के कुसंयोजन की वजह से वाद खारिज योग्य है। इसकी पुष्टी वर्तमान अधिकार अभिलेखो में इन्द्राज से भी बखूबी होती है जिससे वादीगण का उक्त वाद पक्षकारों के कुसंयोजन की वजह से चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

कार्यालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)